बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–03–15/2020(स्वा0) ..../ पटना, दिनांक:–.................................

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक–4392 दिनांक 09.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डॉ० अलका कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, सकरा, मुजफ्फरपुर दिनांक–23.09.2017 से अवकाश आवेदन समर्पित कर कर्त्तव्य पर अनुपस्थित है। डॉ० कुमारी के विरूद्ध कर्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय सकल्प सं0–66(9) दिनांक 24.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समीक्षा में क्रम में पाया गया कि डॉ० कुमारी द्वारा दिनांक–25.03.2017 को चार दिन अर्थात दिनांक–29.03.2017 से 01.04.2017 तक अवकाश हेतु आवेदन समर्पित की गयी है। डॉ० कुमारी द्वारा दिनांक–02.04.2017 से 30.10.2017 तक अवकाश अभिवृद्धि हेतु 7 बार आवेदन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर के समक्ष समर्पित की गयी। डॉ० कुमारी द्वारा दिनांक–01.11.2017 से 06.05.2018 तक मातृत्त्व अवकाश हेतु आवेदन समर्पित कर अवकाश में रहीं एवं दिनांक–07.05.2018 से 09.05.2018 तक रेफरल अस्पताल, सकरा, मुजफ्फरपुर में कर्तव्य पर उपस्थित रहीं। दिनांक–10.05.2018 से 02.07.2018 तक शिशु देखभाल अवकाश का आवेदन समर्पित कर डॉ० कुमारी कर्तव्य से अनुपस्थित रहीं। विभागीय अधिसूचना सं0–747(2) दिनांक 30.06.2018 द्वारा डॉ० कुमारी को रेफरल अस्पताल, सकरा, मुजफ्फरपुर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली में स्थानांतरित किया गया। उनके द्वारा दिनांक–03.07.2018 को रेफरल अस्पताल, सकरा, मुजफ्फरपुर में योगदान समर्पित किया गया। सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–2236 दिनांक 04.07.2018 द्वारा डॉ० कुमारी को स्थानांतरित स्थान पर योगदान करने हेतु विरमित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में डॉ० कुमारी के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त डॉ० कुमारी के विरूद्ध आरोप–पत्र में वर्णित आरोपों से मुक्त करने का विनिश्चिय किया गया। साथ ही उनके अविनियमित अवधि का विनियमन संबंधी कार्रवाई प्रशाखा–02ए से की जाएगी।

5. अतएव डॉ० अलका कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, सकरा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०–66(9) दिनांक 24.01.2019 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही से आरोप मुक्त करते हुए आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

6. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

12.01.2021

15

ज्ञापांकः–9/आ0–03–15/2020(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांकः–9/आ0–03–15/2020(स्वा0) 105(9) /पटना, दिनांकः–16.01.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० अलका कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, सकरा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/01/2026

सरकार के अवर सचिव।